

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला-जबलपुर

धारा 11 की अधिसूचना

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/15-16/भू.अ./ जबलपुर, दिनांक 16/8/2016

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा उर्म जलाशय निर्माण कार्य हेतु ग्राम कोहली की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (12) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हैक्ट.)		
1	2	3	4	5	6
जबलपुर	शहपुरा	कोहली प.ह.नं. 63	2.28 हैक्ट.	अनु. अधिकारी (राजस्व) सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन	उर्म जलाशय निर्माण कार्य हेतु

- 1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
- 2 भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन अधिकारी
भू-अर्जन एवं
अनुविभागीय अधिकारी,
पाटन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(महेश चंद्र चौधरी)
कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग